LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक-04.02.2024

थाना कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत स्वयं के साथ 18 लाख रुपये के सोने , चांदी के सामान की लूट होने की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण थाना कोतवाली पुलिस द्वारा स्वंय के साथ लूट की झूठी सूचना की जानकारी देने वाले अभियुक्त शिवम सोनी पुत्र अवध किशोर सोनी उम्र करीब 32 वर्ष नि0 वार्ड नं0 13 गढीमोहाल कुसमा थाना महराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

घटना का विवरण- वादी शिवम सोनी द्वारा दिनांक 03.02.2024 को समय करीब 16.00 बजे सूचना दी गयी मैं फेरी लगाकर ज्वैलरी का सामान गांव गांव में बेचता हूं मैं अपना पैसा लेने ग्राहको के पास गया था । कि दोपहर 01.30 बजे ग्राम खडोबरा से रोड़ा के बीच थाना कोतवाली के पास चार नकाबपोश बिना नंबर प्लेट की काली पल्सर और डीलक्स दो बाईक पर चार सवार व्यक्तियों द्वारा मुझसे 3 किलो चांदी , 285 ग्राम सोना कीमत लगभग 18 लाख रूपये की लूट कर ली गयी ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा 06 टीमे गठित की गयी थी । कोतवाली पुलिस, सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस एसओजी टीम, द्वारा गम्भीरता से प्रकरण की जाँच की गयी थी जिसमे कुछ बिन्दुओ पर शिकायतकर्ता द्वारा बाते बतायी गयी थी उसमे और सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस से जो साक्ष्य मिले उनमें विसंगति पायी गयी । बाद में और अधिक गहनता से पूँछताछ की गयी और साक्ष्यों के माध्यम से अन्ततः यह बात पता चला कि शिकायतकर्ता के ऊपर कर्जा था इसी कारण इसके द्वारा यह कृत्य स्वयं किया गया था । इसकी निशादेही पर शतप्रतिशत रिकवरी सोने चाँदी की करायी गयी है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि साहब मैने एक प्लाट व कार खरीदी थी और मेरी दुकान का कर्जा भी मेरे ऊपर था जिसे मै चुकाना चाहता था । कर्जदार मुझसे बार बार कर्जा मांग रहे थे इसी के लिये मैं खुद के साथ लूट जैसी योजना बनाई । मैने दूसरे सुनार से सोने की ज्वैलरी उधार ली थी फिर मैने सोचा कि अगर इस ज्वैलरी का रूपया नही देना पड़े तो मैं अपना कर्जा चुका सकता हूँ । मैं जब भी गांवों में सामान बेचने जाता था तो अपने साथ एक लड़का लेकर जाता था लेकिन कल मैं अपने साथ उसे जानबूझकर लेकर नही गया था । और खुद अलग अलग गांव मैं अपना समान बेचने और पैसा लेने के लिया गया था , और अपने फोन को तोड़कर भी फेक दिया था जिससे घटना सही लगे । फिर मैने सुनसान जगह पर अपने साथ लूट की झूठी सूचना कि ग्राम खडोबरा से रोड़ा के बीच चार नकाबपोश बिना नंबर प्लेट की काली पल्सर और डीलक्स दो बाईक पर चार सवार व्यक्तियों द्वारा मुझसे 3 किलो चांदी , 285 ग्राम सोना कीमत लगभग 18 लाख रूपये की लूट कर ली गयी इस प्रकार की सूचना पुलिस को दी । मैने सोचा था कि पुलिस विवेचना में लगी रहेगी और मुझे सुनार को ज्वैलरी के रूपये नही देने पड़ेगे । मैने उस ज्वैलरी को गलाने का भी प्रयास किया था ताकि कोई मुझे पकड़ न सके । साहब मैने बहुत दिनों तक सोच कर यह षड़यंत्र रचा था लेकिन आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- शिवम सोनी पुत्र अवध किशोर सोनी उम्र करीब 32 वर्ष नि0 वार्ड नं0 13 गढीमोहाल कुसमा थाना महराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0